

प्रेसनोट दिनांक 18.01.2025
थाना क्योलड़िया जनपद बरेली।

थाना क्योलड़िया बरेली पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग का सफल अनावरण कर विवेचना के दौरान प्रकाश में आये तीन अभियुक्तों को आलाकल्ल सहित किया गया गिरफ्तार।

वादिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी रोहिताश कुमार निवासी ग्राम पनवड़िया परतीतपुर थाना क्योलड़िया जिला बरेली की तहरीरी सूचना बावत दिनांक 03-01-2025 को उनके देवर लक्ष्मीकान्त पुत्र रामेश्वर दयाल को बरेली से वापस आते समय उनके गांव पनवड़िया परतीतपुर व कटैया आत्माराम के बीच में चम्पा देवी, अर्जुन लाल, जितेन्द्र कुमार व चार पांच अज्ञात लोगों द्वारा रास्ते में धारदार हथियार व डंडो से हमला कर देना जिससे लक्ष्मीकान्त को काफी चोटे आना तथा इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना क्योलड़िया, बरेली पर मु0अ0सं0 07/25 धारा 191(2),191(3),103(1), 61(2) बीएनएस एवं धारा 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम 1. चम्पा देवी, 2. अर्जुन लाल, 3.जितेन्द्र कुमार व चार पांच अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नवाबगंज, बरेली द्वारा की जा रही थी।



अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी क्योलड़िया के नेतृत्व में थाना क्योलड़िया पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये तीन अभियुक्त 1. विजय सिंह यादव पुत्र अर्जुन सिंह यादव निवासी ग्राम पनवड़िया परतीतपुर थाना क्योलड़िया बरेली, 2 अर्जुन सिंह यादव पुत्र स्व0 झुमक लाल निवासी ग्राम पनवड़िया परतीतपुर थाना क्योलड़िया बरेली एवं 3. पंकज पुत्र अर्जुन निवासी ग्राम पनवड़िया परतीतपुर थाना क्योलड़िया जिला बरेली को आज दिनांक 18.01.2025 को थाना क्योलड़िया क्षेत्रांतर्गत अटंगा रोड के पास से गिरफ्तार कर आलाकल्ल बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

बरामदगी:-

1 एक आलाकल्ल (हसिया/बंका)

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

- 1. विजय सिंह यादव पुत्र अर्जुन सिंह यादव निवासी ग्राम पनवड़िया परतीतपुर थाना क्योलड़िया बरेली उम्र 27 वर्ष**
(i)मु0अ0सं0 07/25 धारा 191(2),191(3),103(1),61(2) बीएनएस एवं धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना क्योलड़िया जिला बरेली
- 2. अर्जुन सिंह यादव पुत्र स्व0 झुमक लाल निवासी ग्राम पनवड़िया परतीतपुर थाना क्योलड़िया बरेली उम्र 60 वर्ष**
(i)मु0अ0सं0 362/08 धारा 323/324/504 भादवि थाना क्योलड़िया जिला बरेली
(ii)मु0अ0सं0 07/25 धारा 191(2), 191(3), 103(1), 61(2) बीएनएस एवं धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना क्योलड़िया बरेली
- 3. पंकज पुत्र अर्जुन निवासी ग्राम पनवड़िया परतीतपुर थाना क्योलड़िया जिला बरेली उम्र 19 वर्ष**
(i)मु0अ0सं0 07/25 धारा 191(2), 191(3), 103(1), 61(2) बीएनएस एवं धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना क्योलड़िया बरेली

पूछताछ:-

अभियुक्त विजय सिंह यादव, अर्जुन सिंह यादव, पंकज से पूछताछ से पता चला कि मृतक लक्ष्मीकान्त पुत्र स्व0 रामेश्वर निवासी ग्राम पनवड़िया परतीतपुर थाना क्योलड़िया जिला बरेली से पूर्व में चल रही मुकदमेबाजी व आपस में झगड़े को लेकर षडयन्त्र रच कर रेकी कर जैसे ही मृतक लक्ष्मीकान्त अपना लैपटॉप बरेली से सही कराकर अपने घर आ रहा था, रास्ते में ही उसके सिर पर विजय सिंह यादव, उसका भाई रूपेन्द्र यादव ने हसिया/बंका व डन्डे से वार कर विक्की से गिरा देना व लगातार हसिया/बंका से वार कर हत्या कर देना बताया ।

अभियुक्त विजय सिंह यादव पुत्र अर्जुन सिंह यादव से हत्या में प्रयुक्त किया गया आलाकल्ल (हसिया/बंका) अभियुक्त विजय सिंह यादव की निशादेही पर बरामद किया गया तथा अभियुक्त रूपेन्द्र यादव फरार है, जिसकी तलाश में टीम लगी हुई है ।

पुलिस टीम:-

थाना क्योलड़िया जनपद बरेली
निरीक्षक/IC परमेश्वरी
व0उ0नि0 श्री आनन्द प्रकाश
उ0नि0 श्री अर्जित कुमार
का0 प्रदीप कुमार
का0 सचिन कुमार
का0 सुमित कुमार